न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निगरानी - 2669/2018/भिण्ड/भू.रा. नवीन पु-2669/18

प्रकरण क्रमांक ।२०१८ निगरानी

श्री एस० के० भवन्त्री/चौहान
द्वारा आज दि० 1-5-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 23-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

काशीराम पुत्र गिरवर बघेल, निवासी ग्राम गोगई, तहसील व जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश)।

------- प्रार्थी

विरुद्ध

१- विष्णु प्रसाद उर्फ बिशुनलाल,

२- राम सहाय पुत्र श्रीराम बघेल,

३- राय सिंह पुत्र मेवाराम बघेल,

४- उदय सिंह पुत्र मेवाराम बघेल

समस्त निवासीगण ग्राम मानिकपुरा, पोस्ट कतरोल, तहसील मेहगांव, जिला-भिण्ड (म०प्र०)।

------प्रतिप्रार्थी०

निगरानी विरुद्ध आदेश एस०डी०ओ० महोदय मेहगांव दिनांकी २४-४-१८, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९। प्र०क्र० ६७।१६-१७ अपील।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानून सही नहीं है।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है।

३- यह कि, प्रतिप्रार्थीगण व्दारा जानकारी का कोई स्त्रोत नहीं बताया है, ऐसी स्थिति में विलम्ब क्षमा किये जाने में भूल की है।

४- यह कि, कथित विक्रय पत्र दिनांक ५-६-१३ के पश्चात् दिनांक १०-०५-१४ को विक्रेता की मृत्यु हो जाना कहा गया है विक्रय दिनांक

क्रमशः---२

XXIX(a)-BR(H)-11

(438)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2669/2018/भिण्ड/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। पेशी दिनांक **प्रशासकीय सदस्य**	